फर्द अहकाम

(नियम 26)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम [illegible]

सतवीर .... बनाम प्रभावशाली [illegible] आदि

किस्म मुकदमा 88 RTA .... नं. 81/18 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
10/5/18.	आज पत्रावली रिपोर्ट हेतु पेश हुई। दर्ज प्रार्थी सतवीर की वादी एवं प्रतिवादीगण सहित वकील उपस्थित। दोनों प. मो. राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया वादी ने लिखित बयान दिये कि [illegible] 5 SDM के [illegible] 616 की कुल 8. [illegible] सम्पत्ति [illegible] प्रतिवादी [illegible] 1/2 हिस्सा के [illegible] 1/3 [illegible] हिस्सा है [illegible] किए प्रतिवादी [illegible] के राजीनामा के [illegible] की है वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा बाद वादी [illegible] किया जाकर [illegible] की जाती है कि [illegible] बाद मुताबिक प्रतिवादी [illegible] एवं 1/2 हिस्सा के [illegible] के	सतवीर सिंह [signature] [illegible] Sharmila [illegible] देवी पहचान कर्ता [signature] वकील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
	उनके हिस्सा, पर वादी के 3/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के 1/8 हिस्सा [illegible] [illegible] इसी अनुसार डिक्री मुताबिक [illegible] वादी [illegible] डिक्री वादी हो [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो [signature] [signature] सदस्य लोक अदालत भादरा अध्यक्ष लोक अदालत भादरा	

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 81/18

अनवान : 1. सतबीर सिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)।

—वादी

बनाम

1. श्योनारायण उर्फ सोहनलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. शर्मिला पुत्री सोहनलाल पत्नी प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी जोगीवाला हाल निवासी गोरछी तहसील बालसमंद जिला हिसार।
3. मैना पुत्री सोहनलाल पत्नी प्रमोद जाति जाट निवासी जोगीवाला हाल निवासी गोरछी तहसील बालसमंद जिला हिसार।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 गांधीबड़ी में वकीलवादी श्री लीलाधर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 एसडीआर के खाता सं० 6/6 के मु० न. 59 के किला न. 21 ता 24, मु० न. 60 के किला न. 18 ता 25, मु० न० 65 के किला न. 1 ता 7, 15, मु० न. 66 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 19 कुल 8.855 हैक्टर नहरी मय रास्ता भूमि में प्रतिवादी श्योनारायण उर्फ सोहनलाल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा कलमजन कर उसके स्थान पर वादी का 3/8 व प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ